International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 6; November 2017; Page No. 917-920

भारत में बाल कल्याण से संबंधित प्रावधान : एक अध्ययन

राजबीर सिंह दलाल [1], सरबन कुमार [2]

[1] प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा, भारत।

[2] शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा, भारत।

सारांश

किसी भी देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के बच्चों के समुचित संरक्षण और विकास पर निर्भर करता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में बच्चों को उनके अधिकार दिलाने शोषण से बचाने, संरक्षण देने उन्हे राष्ट्रीय निधि के रूप में पलवित होने के अवसर प्रदान करने हेतु अनेक प्रयास किए गए। उन्हे रंग, धर्म, लिंग भेद के बिना शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक उन्नति तथा गरिमा के विकास को सुविधाएं प्रदान करने की चेष्टा की गई। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में बाल कल्याण से संबंधित प्रावधान, कार्यक्रम एवं बाल कल्याण में जो बाधाऐं है उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

मूल शब्द : बाल कल्याण, अधिकार दिलाने, शोषण से बचाने, संरक्षण देने।

प्रस्तावना

मनुष्य राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विकास से संबंधी सभी कार्यों का निर्माण मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। आज का बालक कल का निर्माता है जो बड़ा होकर देश को मजबूत करता है और मानव संसाधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभता है। किन्तु यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों का लालन–पालन एवं उनकी शिक्षा–दिक्षा कैसी और किस माहौल में हुई है। बालकों का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि वह एक प्रभावी संसाधन के रूप में देश के निर्माण एवं विकास में अहम भूमिका निभा सके। किसी भी उन्नत देश की पहचान उसके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं व्यक्तित्व से आंकी जा सकती है। भारत में दुसरे देशों की तुलना में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा है, स्कूल से बाहर (ड्रॉप आऊट) की संख्या सबसे ज्यादा 100 में से 66 लड़कियों की संख्या है। विकासशील देशो में देखे तो भारत में 40 प्रतिशत बच्चे बाल कुपोषण के शिकार है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लड़कियों की घटती संख्या चिंता का विषय है जो 1000 लड़कों के मुकाबले 927 लड़कियां है। भारत में 65 प्रतिशत लड़कियां 18 वर्ष से भी कम उम्र में शादी करके मां बन जाती है जो सोचनीय विषय है, यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित 16 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या भारत में सर्वाधिक है।[1] भारत सरकार द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके समुचित विकास और कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं चलाई जा रही है। जिसका सहज ही अनुमान हम इस बात से लगा सकते है कि देश में महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय को एक स्वतन्त्र मन्त्रालय के रूप में स्थापित कर दिया गया है। बाल शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित करने के साथ सरकार ने उन्हें खाद्य सुरक्षा भी प्रदान की है और बालश्रम को एक दण्डनीय अपराध घोषित किया है। बच्चियों के प्रति बढ़ते दुष्कर्म के चलते सरकार ने हाल ही में (22.4.2018) एक अध्याधेश जारी करके, 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालो को फांसी की सजा का प्रावधान किया है।[2] अतः उपरोक्त विषय की गंभीरता एवं महत्व को देखते हुए, वर्तमान आलेख में भारत में बाल कल्याण के लिए आवश्यक प्रावधानों का वर्णन और कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया है साथ ही इनके क्रियान्वन में आने वाली चुनौतियों एवं संभवित समाधानों पर भी प्रकाश डाला गया है।

बाल कल्याण की अवधारणा

बाल कल्याण का अर्थ है कि बालक की भलाई, कल्याण व उसके सम्पूर्ण विकास से है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रशासनिक, स्वास्थ्य प्राविधिकीय तथा स्वास्थ्य प्रयत्न सम्मिलित है। बाल से तात्पर्य है 0–14 वर्ष की जनसंख्या के बच्चों से है। भारत में लगभग 31.2 प्रतिशत जनसंख्या का हिस्सा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का है।[3] बाल कल्याण से तात्पर्य है कि बच्चों की प्रगति एवं विकास हेतु कार्यक्रमों को लागू करना और उनको शोषण तथा अत्याचारों से बचाना अर्थात् उनके विकास एवं संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये जाये। ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके। बाल विकास से तात्पर्य बच्चों का बहुमुखी विकास करने से है अर्थात् वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं बेहतर हो।

महिला एवं बाल कल्याण

महिला एवं बाल विकास सामाजिक कल्याण के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि महिला एवं बाल विकास को ही सामाजिक विकास की नींव बताया गया है। अगर देश के बच्चे विकसित है तो समाज स्वयः ही विकसित हो जाता है। भारत में यह विषय समवर्ती सूची में शामिल है जिस हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार कानून बना सकती है और इन्हे लागू कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा महिला एवं बाल विकास से संबंधी विभिन्न परियोजनाओं पर विचार–विमर्श करने हेतु समय–समय पर बैठके और सम्मेलन आयोजित किये गए है। इन बैठकों व सम्मेलनों में ऐसे विचार एवं नीतियां बनाई जाती है जो बच्चों व महिलाओं के विकास से संबंधित होती है। संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष, बाल कल्याण की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद, श्रम संगठन, विश्व स्वस्थ्य संगठन आदि ऐसे संगठन है जो बाल विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है जिससे महिला एवं बच्चों का विकास हो रहा है।[4]

बाल विकास से संबंधित प्रावधान

भारत के संविधान की प्रस्तावना, भाग III, IV तथा भाग XVI में नागरिकों के अधिकारों तथा उनके संरक्षण हेतु व्यापक प्रावधान किए गए है किन्तु इन सबके अतिरिक्त बच्चों हेतु। भारतीय संविधान में बाल कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिये गये है जो इस प्रकार हैः–

- अनुच्छेद – 15 राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा इस अनुच्छेद में उल्लिखित कुछ राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिये कोई विशेष संबंध करने से नहीं रोकेगा।
- अनुच्छेद–21(क) जो संविधान संशोधन (86वां) द्वारा जोड़ा गया के अनुसार राज्य 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसी निःशुल्क एवं अनिर्वाय शिक्षा प्रधान करेगा जिसे राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।
- अनुच्छेद–24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खाद्यान या अन्य किसी जोखिम पूर्ण व्यवसाय में काम पर नहीं लगाया जायेगा। इस हेतु समय–समय पर अनेकों कानून पास किए गए और बालश्रम को एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।
- अनुच्छेद–45 राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु होने तक प्रांरभिक बाल्यवस्था, देख–रेख और शिक्षा प्रधान करने का प्रयास करेगा। इस हेतु आंगनवाड़ी या बालवाडी की अवधारणा को व्यवहारिक रूप दिया गया है।
- अनुच्छेद–443(घ) तथा अनुसूचि 11– शिक्षा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई तथा बाल्य कल्याण को प्रभावित करने वाली अन्य मन्दों के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को पंचायतों को सौंपकर (अनुसूची–11 का 25वां विषय) बाल देख–रेख को संस्थागत बनाने का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद–39 (ड़) सरकार द्वारा अपनी नीति इस प्रकार संचालित करना की सुनिश्चित रूप से बालकों की सुखमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो इनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो।
- अनुच्छेद–39 (च) राज्य द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बालकों को स्वन्त्रत और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हो तथा बालकों की शोषण से रक्षा हो।

यहां यह स्पष्ट करना है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21–क जोड़ा गया तथा इसी के तहत अनुच्छेद 45 को संशोधित कर 6 से 14 वर्ष के स्थान पर छह वर्ष से कम आयु को शामिल किया गया। इसी प्रकार भारतीय संविधान में अनुसूची 11 एवं अनुच्छेद 243–(घ) 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया।[5]

बाल कल्याण पंचवर्षीय योजना में

स्वतंत्रता के बाद ही भारत सरकार द्वारा पचवर्षीय योजना को अपनाया गया हमें यह मानना पड़ेगा किसी भी रणनीति का शुभारम्भ बच्चों के अधिकारों के प्रति समान के साथ होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में जो रणनीतियां बनाई जा रही है वह बच्चों के कल्याण से बढ़कर विकास और अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर केन्द्रित है। पहली पंचवर्षीय योजना में बाल विकास पर ध्यान देते हुए बच्चों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता ही गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 0–6 वर्ष तक के बच्चों के लिए समेंकित बाल विकास योजना का प्रारम्भ किया गया। और इसी प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तर मन्त्रालय अन्तर विभागीय कदम बाल विकास की दिशा में उठाये गये, बच्चों के लिए विद्यालयों का निर्माण, और प्रत्येक बच्चे के लिए अच्छी गुणवता वाली शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसी प्रकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 0 से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक सेवाएं पहुंचाने के व्यवहारिक से खोजने पर बल दिया गया और इन कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी के माध्यम से जवाबदेही की स्थिति सुधार के प्रयास पर बल दिया गया और इसी प्रकार बाहरवीं पंचवर्षीय योजना 2012 – 2017 का प्रमुख उद्देश्य आंगनवाड़ी केन्द्रों का सशक्तिकरण तथा इसे सिखने योग्य के केन्द्र के रूप में विकसित करना और इसी प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए सहयोग हमारी फुलवादी योजना का भी आरम्भ किया गया बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 1,23,580 करोड़ रूपये का बजट आंवटन किया गया और आई.सी.डी.एस. का पुर्नगठन किया गया जिससे बच्चों को स्वास्थ्य, पोषाहार, पूर्व शिक्षा आदि पर बल दिया गया है।[6]

बाल कल्याण से संबंधित कार्यक्रम एवं योजनाएं

अगस्त 1974 में भारत सरकार द्वारा बाल विकास नीति प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों का उलेख किया गया। इसके पूर्व भी कल्याण विस्तार योजना 1954, परिवार एवं बाल कल्याण कार्यक्रम 1969, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 आदि के अन्तर्गत भी बाल कल्याण से संबंधित पक्षों पर प्रकाश डाला गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी बाल स्वास्थ्य एवं बाल शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए है। भारत सरकार द्वारा समय पर बच्चों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई जा रही है। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है और साथ ही बच्चो के लिए शिक्षा, बाल मजदूरी, बाल विवाह, स्वास्थ्य सेवाएं, पूरक पोषाहार आदि का भी प्रचार किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा बाल कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं एवं कार्यक्रम हैः

1. **स्वास्थ्यः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NRHM):** भारत सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के क्षैत्र में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आरम्भ 12 अप्रैल 2005 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं व बच्चों की अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, जनसंख्या स्थिरीकरण, संक्रामक रोग नियंत्रण स्वास्थ्य जीवन शैली, वह स्वस्छता का विकास करना है और 1975 में शुरू की गई समेंकित बाल विकास से योजना भी 0–6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती– स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य पोषण सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है[7] और इसी तरह पल्सपोलियो कार्यक्रम भी भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह कार्यक्रम 1995 से शुरू किया गया था उस समय भारत पोलियों मुक्त का सपना कठिना था लेकिन इस कार्यक्रम द्वारा भारत जैसे विशाल देश से पोलियो को जड़ से उखाड दिया। इसके साथ आशिक टिकाकरण या इससे पूरी तरह वंचित बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए 25 दिसम्बर 2014 को मिशन इन्द्रधंनुष की शुरूआत की गई।[8] मिशन इन्द्रधनुष सात बीमारियों (डिप्थीरिया पोलियो, टी.बी., खसरा, काली खांसी, टिटनेस और हैपेटाइटिस बी) के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा भी बाल कल्याण के लिए अनेक परियोजनाएं और कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे है।
2. **शिक्षाः** बच्चो को उचित शिक्षा देना अनिवार्य है। शिक्षा बालक के व्यक्तिगत गुणों में निखार लाती है। शिक्षा जीवन पर्यन्त

चलने वाली प्रक्रिया है। 2009 में पुरे देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। यदि हम शिक्षा के अधिकार की संघर्ष यात्रा पर नर डाले तो पायेंगे कि 1882 में पहली बार ज्योतिराव फूले ने शिक्षा के अधिकार का प्रथम प्रयास शिक्षा आयोग के सामने पेश किया जो कि असफल रही और इसी प्रकार 2002 86वें संविधान संशोधन में अनु. (21क) के अर्न्तगत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया है और यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार इस लिए भी आवश्यक है जिसमें सरकार द्वारा पहली बार बच्चों कि पढ़ाई लिखाई की बच्चों का अधिकार माना है और इसके साथ बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की मार पीट नहीं होगी। अतः शिक्षा का अधिकार 2009 के द्वारा बच्चों को शिक्षित करने तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अलग करने पर रोकता है।[9]

3. **पोषाहारः** बच्चों को उच्च पोषाहार देने के लिए 1957 में कल्याण विस्तार परियोजना का पुर्ननिरीक्षण किया गया तथा 1963 में विशुद्ध पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया इस कार्यक्रम में महिला और बच्चों को शुद्ध पोषाहार की शिक्षा देना था। ताकि बच्चों और महिलाओं को शुद्ध पोषाहार देकर उन्हे कुपोषण से होने वाली बिमारियों से बचाया जा सके। आज भारत विकसित देश बनने की दहलीज पर खड़ा है। इसलिए कुपोषण को कम करना आवश्यक है। भारत में कुपोषण उसके पड़ोसी देशो से भी अधिक है। यहां तक कि बंगलादेश नेपाल से भी भारत में कुपोषण अधिक है बंगलादेश में शिशु मृत्युदर 48 प्रति हजार है जबकि भारत में इसकी तुलना में 67 प्रतिहजार भारत में कुपोषण कि दर लगभग 55 प्रतिशत है जबकि अन्य देशों में कम है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रति हजार दर बंगलादेश 77, ब्राजील 36, चीन 09 मिश्र 41, भारत 93, इंडोनेशिया 45, मैक्सिको 29 नाईजेरिया 183 और पाकिस्तान 109 है। भारत में कुपोषण एवं चिन्तजनक स्तर पर है।[10] लेकिन भारत सरकार द्वारा बच्चों के कुपोषण को कम करने लिए प्रयास किये जा रहे हैं बालवाड़ी कार्यक्रम 1970 और 1975 में आंगनवाड़ी योजना (आई.सी.डी.एस.) बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए काफी हद तक कामयाब रही है। इस योजना द्वारा आज पुरे भारत में बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और माताओं और बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा जिससे कुपोषण को रोका जा रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं जैसे विशुद्ध पोषाहार कार्यक्रम, परिवार एवं बाल कल्याण परियोजना विशेष पोषाहार कार्यक्रम बालवाड़ी योजना बच्चों के लिए राष्ट्र नीति तथा समेंकित बाल विकास योजना आदि चलाई जा रही है। इनमें से समेंकित बाल विकास परियोजना 1975 अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पूर्व की सभी परियोजनाओं का सावेश किया गया है।[11]
4. **बालश्रमः** आज भारत प्रमुख देशों में से एक है लेकिन भारत में भी बालश्रम जैसी समस्या बहुत अधिक है भारत जैसे विकासशील देशों में हजारों बच्चे बहुत छोटी अवस्था में ही काम करना आरम्भ कर देते है और कभी–कभी उन्हे मौलिक अधिकारों से वंचित रख जाता है और उनसे कार्य करवाया जाता है। देश में कोई भी ऐसा व्यवसाय नही है जिसमें बाल श्रमिकों न लगाया जाता हो। बालश्रम का अर्थ जाने तो जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम होता है। बाल श्रम के प्रमुख कारण, शुरूआती दिनों में प्राथमिक शिक्षा का अभाव पारिवारिक उपेक्षा, बाल श्रम से जुड़े कानूनों का अप्रभावी क्रियान्वन ग्रामीण इलकों में स्कूलों की अनुपल्बधता, वह गरीबी बालश्रम के प्रमुख कारण है। लेकिन भारत में बालश्रम के खिलाफ संवैधानिक कानून है। जैसे अनुच्छेद–24 में कारखानो में बालकों के नियोजन पर रोक 14 वर्ष तक के किसी भी बच्चे को कारखाने में या खान में काम नहीं करवाया जा सकता। भारत सरकार ने भी बालश्रम रोकने के लिए बहुत प्रयास किये है जैसे बालश्रम एक्ट (1986 फैक्ट्री एक्ट 1948) और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009 आदि बच्चों के कल्याण के लिए एक्ट है और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मार्च 2007 में नई दिल्ली में स्थापना की गई और आयोग कार्यशल हो गया। भारत में बाल अधिकार की निगरानी के लिए अन्य महत्वपूर्ण संस्थान, चाइल्ड लाइन फाउण्डेशन, भारतीय बाल कल्याण परिषद, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा खाद्य एवं पोषण आदि बोर्ड है।[12] ताकि बच्चों के अधिकारों की निगरानी की जा सके और बच्चों का कल्याण किया जा सके। ऐसे आयोगों का गठन प्रांतीय स्तर पर भी किया गया है।

बाल कल्याण में बाधाऐं:

भारत में बाल कल्याण में बहुत अधिक बाधाऐं है जो इस प्रकार हैः–

1. **गरीबीः** भारत में सबसे बडी बाधा बाल कल्याण में गरीबी है। भारतीय समाज में पिछले दशकों से जो नई आर्थिक नीतियां आई है और असंगठित क्षेत्र में ढ़ांचागत परिवर्तन हुए है एव वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया ने समाज में आर्थिक विषमता की खाई को गहरा कर दिया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। असहाय निर्धन व्यक्ति मंहगाई और गरीबी का मुकाबला करने के लिए ये सोचता है कि उनका बच्चा काम करके उनकी जरूरतों को पूरा करे ये बच्चे गरीबी में जीते है और गरीबी में ही मर जाते है। एक बार जब ये ऐसे काम में पढ़ जाते है तो जीवन भर नही निकल पाते और शिक्षा से भी वंचित रह जाते है और इसके साथ–साथ छोटी आयु में ही काम में धकेल देने से इनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास नही हो पाता जो बाल कल्याण में एक प्रमुख बाधा है।
2. **अधिक बच्चेः** हमारे देश में परिवार नियोजन की इतनी सारी योजना होने के बाद भी परिवार में अधिक बच्चों की समस्या पैदा हो रही जिससे जनसंख्या नियन्त्रण बढ़ रही है। परिवार में अधिक बच्चे होने से बच्चों का सही ढ़ग से पालन पोषण भी नही हो पाता जिससे बच्चों में कुपोषण हो जाता है और वह किसी ना किसी गंभीर बिमारी का शिकार हो जाते है और जिससे बच्चों में मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास न होने के कारण वह अन्य बच्चों से पिछड़ जाते है।
3. **निरक्षरता एवं अज्ञानताः** आजादी के 71 वर्ष बाद भी देश में साक्षरता का स्तर बहुत उत्साहबर्द्धक नही कहा जा सकतां गरीबी, बाल मजदूरी और अशिक्षा के बीच प्रगाह रिश्ता है बाल श्रमिक स्वंय शिक्षा से वंचित रहते है और आगे चलकर अपने बच्चों को भी शिक्षा से वंचित रख देते है। उन्हें ये प्रतीत होता है कि बच्चों को पढ़ने भेजने का काम खर्चीला है और उनकी पहुंच से बाहर है और उन्हे रोटी जुटाने के लिए काम करवाना सही लगता है। अज्ञानता के कारण वह अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं दिला पाते या उनकी पढ़ाई अधूरी छुड़वा देते है।
4. **सस्ती श्रमः** भारत में दोषपूर्ण श्रम प्रणाली है सस्ती श्रम प्रणाली

होने के कारण एक मजदूर (गरीब परिवार) अपने बच्चो का सही ढ़ग से पालन पोषण नही कर पाता क्योंकि उससे काम अधिक करवाया जाता है ओर पैसे कम दिये जाते है जिससे वह दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता है और अपने बच्चों शिक्षा दिलाने में असमर्थ दिखाई देता है।

5. **बाल शोषण और उनकी खरीद फरोशतः** भारत में बाल शोषण एक प्रमुख समस्या है मजदूरों को काफी सुविधाएं दी जाती है जैसे काम के घंटे तय करना लेकिन भारत में बच्चों से अधिक कार्य किया जाता है उनका तरह–तरह से शोषण किया जाता है। भारत में बच्चों की तस्करी व्यापार में सामाजिक–आर्थिक कारण ही प्रमुख भूमिका निभा रहा है। गरीबी, अशिक्षा, रोजगार का अभाव, भविष्य के लिए सुरक्षा व्यवस्था न होना आदि कारणों से कई बार बच्चे मजबूर होकर स्वंय निकलते है या फिर अभिभावक उन्हे बाहर भेजते है, किन्तु उनमें से अनेक तस्करों के जाल में फंस जाते है। इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए कडे कानून की बात की जाती रही है गायब या (खरीद फरोखत) बच्चों की संख्या में तब तक कमी नहीं आयेगी जब तक कानून परिचालन संस्थाएं और न्याय देने वाली एजेन्सियां ईमानदारी से सक्रिय नही होगी। कानून परिचालन की एक मुख्य कमी यह भी है की मानव तस्करों और शोषण करने वाले के बारे में आंकड़ों की जानकारी नही रखी जाती। यह कारण है कि अपराधी वैखोफ काम को अंजाम देते है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

अंत में हम कह सकते है कि स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में बाल कल्याण के संबंध में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये थे, लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात हमारे संविधान में बाल कल्याण से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये जिनकी अनुपालना में सरकार ने अनेक संस्थानकारी और कल्याणकारी योजनाएं जैसे परिवार एवं बाल कल्याण परियोजना, विशेष पोषाहार कार्यक्रम, विशेष पोषाहार कार्यक्रम, बालवाड़ी योजना, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा समेंकित बाल विकास योजना (आंगनवाड़ी योजना) आदि योजनाएं बच्चों के कल्याण के लिए शुरू की गई और 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राजस्थान के झुंझनु जिले से राष्ट्रीय पोषण मिशन व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 3 चरण का शुभ आरम्भ किया।[13] इसके अलावा भी बाल कल्याण के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे है। जिनकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये योजनाएं भी अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रही। अतः समस्या योजनाओं और कार्यक्रमों की अपेक्षा अनेक क्रियान्वन में अधिक देखने को मिल रही है। अन्यथा इतने कार्यक्रम एवं योजनाओं के होते, बाल कल्याण और विकास के क्षेत्र में देश अग्रणी होना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं है उल्टे हम बाल शोषण, कुपोषण, बाल श्रम, शिशु जन्म एवं मृत्युदर आदि के लिहाज से अपने देश का आंकलन मानव विकास सूंचाक (HDI) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय पैमानों पर करते है तो स्थिति काफी चिंताजनक एवं निराशकारी देखने को मिलती है। इसमें कही न कही अधिकारी तन्त्र लाभार्थियों में जागरूकता की कमी, माता–पिता में अशिक्षा तथा गरीबी का प्रादूभाव आदि जिम्मेदार है ये योजनाएं धरातल तक असल में नही पहुंच पा रही है। विभिन्न सवैंधानिक प्रावधनों व सरकारी व गैर सरकारी उपायो के बाद आज भी हम बालश्रम को रोकने में सम्पूर्ण नहीं है। यदि हम गरीबी को इसका प्रमुख कारण मानते है तो हमें उनके अभिभावकों के सामने आय सृजन के विकल्प पेश करने होगे। मनरेगा जैसे आय संरक्षण करने वाले एवं वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने वाले कार्यक्रम चलाने चाहिए। इसलिए सरकार को इन कार्यक्रमों एवं विभिन्न परियोजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि बच्चों का सही ढंग से विकास हो पाये।

सन्दर्भ

1. www.wcd.wikipedia.com 2018
2. दैनिक ट्रिब्यून, चण्डीगढ़, 23. अप्रैल 2018, पृ.1
3. Census of India, 2011
4. www.wcd.in.com 2018
5. सिंह, महेन्द्र प्रसाद, 'नारी सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण', लोक प्रशासन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, जुलाई–दिसम्बर, 2015, खण्ड 7, अंक 2, पृ. 202–203
6. Report at the sub Groups on Child Rights for 12th Five Year Plan, Ministry of Women & Child Development, New Delhi 2012.
7. www.nrhmwikipedia.com2018.
8. www.pulse.polio.wikepedia.com2018.
9. www.rte.com.2018
10. www.wikipedia.org.in.2018
11. पहला कदम, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, सरकार, पंचकूला, 2017, पृ. 12
12. www.childlabour.com2018
13. सिंह, महेन्द्र प्रसाद, 'नारी सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण', लोक प्रशासन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, जुलाई–दिसम्बर, 2015, खण्ड 7, अंक 2, पृ. 360–361
14. दैनिक जागरण, हिसार, 8 मार्च, 2018, पृ.2